राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक – ई–18/एम/जोन–भरतपुर/2019/ दिनांक :

आदेश

श्री धर्मेन्द्र सिह परमार, कनिष्ठ सहायक, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, धौलपुर को स्वयपाठी के रूप मे वर्धमान महावीर खुला विश्वविधालय, कोटा द्वारा आयोजित बीए प्रथम वर्ष 2019 परीक्षा मे सम्मिलित होने की स्वीकृति निम्न शर्तो के आधार पर प्रदान की जाती है :–

1 शिक्षण सस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो स्वीकृती स्वत ही समाप्त मानी जावेगी।

2 राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृती सस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित/स्थानान्तरण हो जाता है तो स्वीकृती स्वत ही समाप्त हो जावेगी।

3 प्रत्येक वर्ष के लिए अलग-अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।

4 विभाग की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एव परीक्षा मे सम्मिलित होने वाले कर्मचारियो के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

5 जिन कर्मचारियो को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एव परीक्षा मे सम्मिलित हाने की अनुमति दी जावेगी उन्हे परीक्षा दिवस के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नही किया जावेगा।

6 अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी /कर्मचारी को किसी सस्था विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नही मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।

7 अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्यसपादन मे किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेगा अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जावेगी।

8 अध्ययन वर्ष मे अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिए सरकार/विभाग किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नही होगा।

9 परीक्षा की तैयारी हेतु किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।

10 प्रशासनिक कारणो से लोकहित/राज्य हित मे स्वीकृति/अनुमति बिना कोई सूचना के निरस्त की जा सकती है।

11 राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का वित्तीय भार वहन नही किया जावेगा।

12 अर्जित योग्यता के आधार पर विभाग किसी प्रकार का लाभ का पद देने हेतु बाध्य नही होगा।

13 इन्हे केवल परीक्षा दिवस का ही अवकाश नियमानुसार स्वीकृत किया जायेगा।

14 राज्य सेवा मे कोई व्यवधान ना हो।

नोट : उक्त कार्मिक यदि संविदा/समेकित वेतन पर कार्यरत है तो यह आदेश लागू नहीं होगा।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमाक -- ई -18/एम/जोन- भरतपुर/2019/1676 दिनाक 30/07/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1 प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, धौलपुर।

2 श्री धर्मेन्द्र सिह परमार, कनिष्ठ सहायक को उनके प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सूचनार्थ।

3 प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।

4 रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर